न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 13/2022
रजि. संख्या : 2022/86

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री अरविन्द पिता कान्तीलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बोरखाबर भाग द्वितीय, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा (राज.)	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र पाटीदार – अभिभाषक (अपीलार्थी)	विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 07–02–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 73/2017

निर्णय

दिनांक :– 13–01–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री अरविन्द पिता कान्तिलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बोरखाबर भाग द्वितीय बॉसवाडा जिला बॉसवाडा की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत (प्रवर्तन निरीक्षक) जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा द्वारा दिनांक 18.10.2017 को किया। जिसमे अनियमितता पाये जाने पर रिर्पोट अनुसार अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध प्रकरण सं. 73/2017 दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1207/03 दिनांक 18.10.2017 को निलम्बित किया गया तथा बाद सुनवाई अपीलार्थी डीलर द्वारा 17.74 क्विंटल गेहु का गबन एवं दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

.2022 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 04.01.2023 को रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी डीलर द्वारा माह अक्टूबर 2017 के खाद्यान्न का उठाव नहीं करने के कारण प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 523 दिनांक 18.10.2017 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र संख्या 1207/03 को निलम्बित किया गया। डीलर को दिनांक 24.10.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को डीलर के गोदाम का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार निलम्बन के समय डीलर के पास 227.74 क्वि. गेहूं शेष था। जिसमें से 50 क्वि. गेहूं वितरण कार्य हेतु अधिकृत बोरखाबर भाग–प्रथम के डीलर गौतमलाल को सुपुर्द किया। शेष 174.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नहीं किया। उसके पश्चात दिनांक 01.12.2017 को 160 क्वि. गेहूं अस्थाई रूप से अधिकृत व्यवस्थापक लेम्पस छोटी बदरेल को सुपुर्द किया गया। शेष 17.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नही कर उसका गबन एवं दुरूपयोग किया गया। अतः डीलर द्वारा 160 क्वि. गेहूं सुपुर्द करने में विलम्ब करने एवं 17.74 क्वि. गेहूं का गबन करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11 एवं 17सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उल्लंघन पाए जाने पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए समस्त प्रतिभूति राशि जब्त कार की गई।

दिनांक 13.01.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 07.02.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 09.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार दस माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को कानून की जानकारी नही होने तथा कोरोना काल होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विगत 2003 से राशन डिलर का कार्य नियमानुसार कर रहा है अपीलार्थी द्वारा विगत 20 वर्षो से कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्तओं को बराबर समय पर नियमित रूप से नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोरोना महामारी में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता किये बिना अपने परिवार और अपनी स्वयं की जान की परवाह किये बिना राज्य और केन्द्र सरकार के आदेशानुसार और संपूर्ण समाज के सभी वर्गों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। अपीलार्थी द्वारा [illegible] जाकर नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

...किया जा रहा है अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है ...लार्थी के कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायत बोरखाबर द्वितीय भाग के गांवों में वितरण का है। जिसमें ... मात्रा में लोग रहते है परन्तु कुछ उपभोक्ताओं से बात कर प्रश्नगत निर्णय में अपीलार्थी के ...रूद्ध अनियमितता दर्शायी गयी है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई थी इस प्रकार मात्र दबाव बनाने के उद्धेश्य से यह अनियमितता दर्शाई गई है। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार से उपभोक्ताओं के राशन वितरण करने में कोताही नहीं या त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत प्रत्यर्थी अथवा जॉचकर्ता को प्रस्तुत नहीं हुई है अपीलार्थी नियमित रूप से समय पर दुकान खोलता है वितरण कार्य करता है यहां तक कि प्रत्यर्थी अथवा जॉचकर्ता द्वारा किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड में गलत प्रविष्ठि नहीं पाई है अपीलार्थी द्वारा राज्य और केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों और गाईड लाईन अनुसार कोविड महामारी के समय में राशन सामग्री का वितरण किया गया है अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन या राशन का दुरूपयोग अथवा दूर्विनियोग करने के साक्ष्य नहीं है। कई बार उपभोक्ता अपना राशन कार्ड साथ नहीं लाते है एवं उपभोक्ताओं की मांग तथा सरकार के दिशा निर्देशन की कोविड–19 महामारी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे को देखकर तत्काल वितरण करना होता है उक्त गेहूं, शक्कर व केरोसीन बराबर उपभोक्ताओं को वितरीत किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी ने कोई अनियमितता नहीं की है तथा अपीलार्थी ने अनुता पत्र की किसी भी शर्त का उल्लघन नहीं किया है ना ही किसी अन्य शर्तो की अवहेलना की है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का उक्त निर्णय दिनांक 07.02.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1207/03 को पुनः बहाल किया जावे तथा प्रतिभूति राशि समस्त भी दिलाया जावें।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने ... किया कि अपीलार्थी डीलर द्वारा माह अक्टूबर 2017 के खाद्यान्न का उठाव नहीं करने के ... अधिकारी की रिपोर्ट के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय के आदेश क्रमांक 523 दिनांक 18.10.2017 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र संख्या /03 को निलम्बित किया गया। डीलर को दिनांक 24.10.2017 को कारण बताओं नोटिस किया गया। जिसका उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को डीलर के गोदाम का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार निलम्बन के समय डीलर के पास 227.74 क्वि. गेहूं शेष था। जिसमें से 50 क्वि. गेहूं वितरण कार्य हेतु अधिकृत बोरखाबर भाग–प्रथम के डीलर गौतमलाल को सुपुर्द किया। शेष 177.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नहीं किया। उसके पश्चात जुलाई 2021 को 160 क्वि. गेहूं अस्थाई रूप से अधिकृत व्यवस्थापक लेम्पस छोटी बदरेल को सुपुर्द किया गया। शेष 17.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नही कर उसका गबन एवं दुरूपयोग किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण कोरोना काल के पूर्व का है। इस प्रकार अवशेष स्टॉक 283.99 क्विं गेहु में से माह अक्टुबर 2017 में 56.25 क्विं गेहु उपभोक्ताओ को वितरण किया गया था। कुल गबनशुदा 227.74 क्विं. गेहुँ में से कुल 210 क्विं गेहुँ की सुपूर्दगी अपीलार्थी द्वारा की। अपीलार्थी डीलर ने 210 क्विं गेहु को विलंब से सुपूर्द किया एवं 17.74 क्विं गेहु सुपूर्द नही कर उसका गबन एवं दुरुपयोग किया गया है। अतः डीलर द्वारा 160 क्वि. गेहूं सुपुर्द करने में विलम्ब करने एवं 17.74 क्वि. गेहूं का गबन करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11 एवं 17सी का उल्लंघन पाए जाने पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी बॉरखाबर द्वारा अपीलांट डीलर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत की गई जिसमें अनियमितता पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या 73/2017 दर्ज कर प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित किया गया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को डीलर के गोदाम का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार निलम्बन के समय डीलर के पास 227.74 क्वि. गेहूं शेष था। जिसमें से 50 क्वि. गेहूं वितरण कार्य हेतु अधिकृत बोरखाबर भाग–प्रथम के डीलर गौतमलाल को सुपुर्द किया। शेष 177.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नहीं किया। उसके पश्चात जुलाई को 160 क्वि. गेहूं अस्थाई रूप से अधिकृत व्यवस्थापक लेम्पस छोटी बदरेल को सुपुर्द किया गया। शेष 17.74 क्वि. गेहूं सुपुर्द नही कर उसका गबन एवं दुरूपयोग किया गया है।

जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर प्राधिकार–पत्र निरस्त किया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की प्राधिकार की शर्त संख्या 5, 11, 17सी का उल्लंघन होने से अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–2022 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाडा

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner